संख्या-174/2018/4020/22-2-2017-17(316)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 16 फरवरी, 2018***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री दलीप, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44050/प्रो0-5-दयायाचिका/849, दिनांक 12-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी चन्द्रपाल पुत्र श्री दलीप, निवासी-ग्राम-लक्ष्मणगढ़ी, थाना-सिकन्द्राबाद जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 03.11.2000 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फरसा व कटटा से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-740/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) न्याय कक्ष संख्या-16, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.02.2013 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.10.2016 तक 15 वर्ष 11 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 07 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है तथा 01 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी चन्द्रपाल (बन्दी संख्या-7630) पुत्र श्री दिलीप, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-174/2018/4020(1)/22-2-2017 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in